

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई०पी०नं०-8-10

कमाक-63/2017

आरबीई सं०-13/2017

सं० ई/254/2/भाग-22/चार

दिनांक -04-2017

सचिव/महाप्रबन्धक

सचिव/अपर महाप्रबन्धक

सभी विभागाध्यक्ष

सभी मण्डल रेल प्रबन्धक

सभी कार्मिक अधिकारी

सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक

सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना

पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:-मेडिकल विभाग में पीबी-1,5200-20200 रुपये + ग्रेड वेतन 1900
रुपए (लेवल-2) में ड्रेसर ग्रेड-111/ओटीए ग्रेड-111 के पदों को भरना।

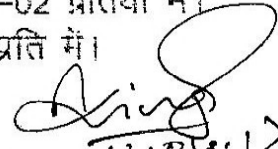
रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई(एनजी)-2000/पीएम-10/2 दिनांक 17.02.2017
की हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की
जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि


11.04.17
(ए० के० सिंह)
उपमुकाधि/अराज.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- महामंत्री/एससी/एसटी एवं आबीसी एशोसियेशन/गोर०-02 प्रतियों में।
- 5- मुकाय्याधी/एमपीपी को वेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।


11.04.17
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

63/2017

आरबी/ईस्ट सं. 13/2017

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/RAILWAY BOARD

NER

सं.ई(एनजी)-2000/पीएम 10/2

नई दिल्ली, दिनांक 17.02.2017

महाप्रबंधक (कार्मिक),

सभी भारतीय रेलवे और उत्पादन इकाइयां आदि।

(मानक सूची के अनुसार)

विषय:-मैडिकल विभाग में पी-बी-1, 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 1900 रुपए
(लेवल-2) में ड्रेसर ग्रेड III/ओटीए ग्रेड III के पदों को भरना।

कृपया बोर्ड के दिनांक 03.05.2016 के समसंख्यक पत्र का अवलोकन करें जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि ग्रेड वेतन 1900 (लेवल-2) में ड्रेसर ग्रेड III/ओटीए ग्रेड III की श्रेणी में 50% रिक्तियों को उन अस्पताल परिचरों में से भरा जाए जिनके पास रेलवे बोर्ड के दिनांक 10.05.1998 के पत्र सं. पीसी-V/98/1/11/18(ए) में अन्तर्विष्ट विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार मैट्रिकुलेशन (10 वीं पास) की अर्हता हो।

2. इस संबंध में एक संदेह उत्पन्न हुआ है कि क्या केवल अस्पताल परिचर ही इसके लिए चयन में भाग लेने के पात्र हैं और क्या नीचे यथा उल्लिखित अन्य पूर्ववर्ती ग्रुप 'डी' कोटियों के कर्मचारी इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। आईआरईएम (वाल.1) के पैरा 182 में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार अस्पतालों में नियोजित सभी रेल सेवक जैसे कि अस्पताल परिचर, अर्दली, औषधालय चपरासी, स्ट्रैचर वाहक, चौकीदार, सफाई वाले अथवा सफाई क्लीनर आदि ड्रेसर अथवा प्रयोगशाला परिचर के रूप में पदोन्नति के लिए पात्र होने चाहिए। इस प्रयोजन के लिए यह निर्धारित करने के लिए कि क्या शैक्षणिक दृष्टि से उनके पास अपेक्षित योग्यता और आवश्यक अभिरूचि है, उपयुक्तता परीक्षा आयोजित कर पात्र रेल सेवकों की स्क्रीनिंग की जानी चाहिए। उपयुक्त पाए जाने वाले रेल सेवकों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिसे उन्हें

अन्ततः पदोन्नति प्रदान करने से पूर्व उनके द्वारा सफलतापूर्वक पूरा किया जाना चाहिए।

645

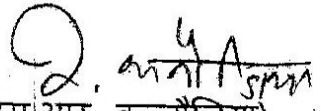
31-3-17

664

27/3/17

3. इस मामले की जांच की गई है और यह स्पष्ट किया जाता है कि बोर्ड के संदर्भाधीन पत्र में आंशिक आशोधन करते हुए सभी पूर्ववर्ती ग्रुप 'डी' कोटियों जैसे कि अस्पताल परिचर, अर्दली, औषधालय चपरासी, स्ट्रेचर वाहक, चौकीदार, सफाई वाले अथवा सफाई क्लीनरों आदि, जो आईआरईएम (वॉल.) के पैरा 182 के अनुसार अन्यथा पात्र हैं, वे 50% रिक्तियों पर अस्पताल परिचरों के साथ-साथ ट्रेसर ग्रेड III/ओटीए ग्रेड III के रूप में पदोन्नति के लिए चयन में भाग लेने के लिए पात्र बने रहेंगे।

कृपया पावती दें।


(एस.आर. कन्नौजिया)

संयुक्त निदेशक स्थापना (अराज.)
रेलवे बोर्ड

सं.ई(एनजी)-2000/पीएम 10/2

नई दिल्ली, दिनांक 17.02.2017

प्रतिलिपि:

1. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडियन रेलवेमैन्स फेडरेशन, कमरा नं.253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित).
2. जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन, कमरा नं.256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित).
3. विभागीय परिषद और राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोज़शाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित).
4. सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं.256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित).
5. सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी आफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं.268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित).
6. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं.256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली-110001.
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली.
8. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली.
9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली.